भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ

सं. 6/34/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 24.09.2025

जॉच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्या- एडी(ओआई)- 31/2025

विषय: चीन जन. गण. से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125 के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत।

1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली या एडी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एसआरएफ लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन गण ("संबद्ध देश") से **'हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125'** (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125" है, जिसे "एचएफसी-125", "आर-125" और "पेंटाफ्लोरोएथेन" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "आर-125" कहा गया है) के नाम से भी जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र सी2एचएफ5 और संरचनात्मक सूत्र सीएफ3सीएफ2एच है। यह उत्पाद गैसीय रूप में पाया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्यतः एचएफसी मिश्रणों, विशेष रूप से आर-410 और आर-407, के निर्माण में किया जाता है। मिश्रित होने के बाद, आर-125 युक्त एचएफसी मिश्रण का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक रेफ्रिजरेंट तथा शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग आग बुझाने में एक स्वच्छ कारक के रूप में भी किया जा सकता है।

5. विचाराधीन उत्पाद का आयात पहले सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप शीर्षक 2903 39 19, 2903 42 00 और 2903 44 00 के अंतर्गत किया जाता था। आवेदकों ने दावा किया है कि टैरिफ वर्गीकरण मार्च 2022 से उपशीर्षक 3827 63 00 में परिवर्तित हो गया है।

6. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित पीसीएन प्रस्तावित किया है।

क्रसं.	विवरण
1	एचएफसी-125 पैक्ड
2	एचएफसी-125 अनपैक्ड

7. संबद्ध जाँच में शामिल हितबद्ध पक्षकार, यदि कोई हों, तो इस जाँच के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति संबंधी अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, और दोनों समान वस्तुएँ हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएँ, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और इसलिए, नियमों के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जाँच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन एसआरएफ लिमिटेडऔर गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

10. आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि वे नियम 2(ख) के अर्थ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक या निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

11. आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है।

12. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' हैं, और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

13. वर्तमान पाटनरोधी जाँच के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

ङ. <u>जाँच की अवधि</u>

14. वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 (12 महीने की अवधि) है। क्षति जाँच अवधि में 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि और जाँच की अवधि शामिल होगी।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

i. **<u>सामान्य मूल्य</u>**

15. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक

चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को बेचा गया है, उसके संबंध में, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्य देशों से आयात की मात्रा सामान्य मूल्य के आधार के रूप में विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।

17. जॉच शुरूआत के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़कर विधिवत रुप से समायोजित किया गया है।

ii. <u>निर्यात कीमत</u>

18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में दर्शाए गए सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय, ऋण लागत और मालभाड़ा लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

iii. <u>पाटन मार्जिन</u>

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य</u>

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयात और आर्थिक मापदंडों से संबंधित सूचना दर्शाती है कि आयात में वृद्धि हुई है। आवेदकों की कीमतों पर सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत ह्रास प्रभाव पड़ा है। आवेदकों की लाभप्रदता और नियोजित पूँजी पर आय में गिरावट आई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. <u>पाटनरोधी जाँच की शुरूआत</u>

21. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रुप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहॉ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

22. इस जाँच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in और उसकी प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को जॉच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढ़ग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जॉच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढ़ग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निदेश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in और उसकी प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए जिस तारीख को प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश को परिचालित किया था या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया है। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय लेना चाहता है, तो उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

31. वर्तमान जॉच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को दावा की गई गोपनीय सूचना का पर्याप्त और उचित सारांश होना अपेक्षित है।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय

सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार और नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

37. किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे पर उचित और पर्याप्त कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य

हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों/उत्तरों/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर, किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि या इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी